

यात्रा भत्ते की दरें 08.05.2012 से पूर्व / 08.05.2012 के बाद

श्रेणी	मूल वैतन	रैल से यात्रा	सड़क से यात्रा	सड़क यात्रा भत्ता (डियूटी स्थान/आवास से रैलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई हड्डा तक) या वापिस लौटने हेतु	इन्सीडेन्टल चार्जज प्रति कि.मी.	जयपुर के अतिरिक्त राज्य में दैनिक भत्ता	जयपुर में		नई दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चैन्नई		स्थानांतरण एक मुश्त अनुदान
							दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लॉजिंग	दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लॉजिंग	
क.	37,000 एवं अधिक	किसी भी रैलगाड़ी/श्रेणी	ए.सी., डिलक्स, अर्द्ध डिलक्स, उच्चतर श्रेणी बस	जयपुर 60 रु., कोटा, अजमेर 45 रु., जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	7 पैसे	135/205	170/255	425/640	260/390	650/975	3000
ख.	19000 से 36999	ए.सी. थ्री टायर, ए.सी. चैयर कार	उच्चतर श्रेणी बस	जयपुर 60 रु., कोटा, अजमेर 45 रु., जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	5 पैसे	120/180	150/225	330/495	230/345	505/760	2500
ग.	15000 से 18999 तक	ए.सी. चैयर कार नोन ए.सी. स्लीपर	साधारण, एक्सप्रेस या मैल श्रेणी	जयपुर 50 रु., कोटा, अजमेर 40 रु., जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	3 पैसे	105/160	130/195	250/375	200/300	380/570	2000
घ.	10000 से 14999 तक	स्लीपर द्वितीय श्रेणी		जयपुर 50 रु., कोटा, अजमेर 40 रु., जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	3 पैसे	90/135	110/165	160/240	170/255	245/370	1500
ङ.	0 से 9999	स्लीपर द्वितीय श्रेणी		जयपुर 50 रु., कोटा, अजमेर 40 रु., जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	3 पैसे	55/85	70/105	85/130	105/160	125/190	1000

ये दरें समस्त राज्यों की राजधानी एवं नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, पूना, अहमदाबाद, एवं राज्य के बाहर के पर्वतीय स्थलों पर भी लागू होंगी।

1. किसी रैल में ए.सी. थ्री टायर नहीं होने पर 'ख' श्रेणी के कर्मचारी ए.सी. टू. टायर से यात्रा कर सकेंगे।
2. कार्य स्थान से हवाई अड्डे तक जाने व वापिस आने के लिए मील भत्ता जयपुर व उदयपुर हेतु 100/- रु. तथा जोधपुर व कोटा हेतु 50/- रु. 3. दैनिक यात्रा मुख्यालय में 6 घण्टे अनुपस्थिति के लिए न्यून, 6 से अधिक 12 घण्टे तक के लिए 50 : तथा 12 घण्टे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा। 4. वायुयान से 37000/- रु. या अधिक प्रतिमाह वैतन प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारी यात्रा हेतु अधिकृत हैं। वायुयान की यात्रा में आनुांगिक प्रभार किराये का 20 होगा जो कि दैनिक यात्रा भत्ता के 3/4 तक सिमित होगा। 5. वायुयान से 80000/- रु. या इससे अधिक वैतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एकजीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं एवं 37000/- रु. एवं अधिक परन्तु 80000/- रु. से कम मूल वैतन आहरित कर रहे अधिकारी इकोनॉमिक क्लास/स्टैण्डर्ड क्लास /निम्नतम क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं।